


उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
शुद्धि पत्र

क्रमांक डी/3234 /
(III-18-1/2018)

जबलपुर, दिनांक ..04.. मई, 2018

रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी/2470/तीन-18-1/2018, दिनांक 03.05.2018 की कंडिका-(ख) के सरल क्रमांक-37 पर अंकित न्यायालय उपाधीक्षक "श्री बृजेन्द्र प्रसाद कुशवाह" के नाम के स्थान पर "श्री बृजेन्द्र सिंह कुशवाह" पढ़ा एवं समझा जावे।


04.05.18
{सनत कुमार कश्यप}
रजिस्ट्रार (डी0ई0)

पृ0क्रं0 डी/3235 /
(III-18-1/2018)


जबलपुर, दिनांक ..04.. मई, 2018

प्रतिलिपि :-

- (1) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर/ मुरैना,
- (2) रजिस्ट्रार (डी0ई0) के निज सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
- (3) अनुभाग अधिकारी, जिला स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
- (4) श्री बृजेन्द्र सिंह कुशवाह, न्यायालय उपाधीक्षक, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

- (5) रजिस्ट्रार (आई0टी0), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर संशोधन पत्र की प्रतिलिपि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।


04.05.18
{सनत कुमार कश्यप}
रजिस्ट्रार (डी0ई0)